# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | कल्याण बनाम महेश<br>951/2016, 961/2016<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 951/2016, 961/2016 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/01/2026 को पेश हो। | |
| 09/01/2026 | आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2016 पारित करते हुए तहसीलदार जयपुर को ग्राम मंशारामपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र जयपुर पश्चिम, तहसील जयपुर अन्तर्गत आराजीयात खसरा नम्बर 275/410 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा के कुर्रेजात प्रस्ताव उभयपक्षों को नोटिस देते हुये उनकी उपस्थिति में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये सरस-नरस के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/08/2016 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2016 के विरुद्ध अपील संख्या 951/2016 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/08/2016 के विरुद्ध अपील संख्या 961/2016 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस अपीलों पर सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे।<br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही | |

होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2016 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/08/2016 यथावत रखे जाते है एवं अपील संख्या क्रमश : 951/2016 व 961/2016 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |